1/2/19	उक्त पत्र उप. / बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 4.2.19 को पेश हो।	माया गीता कुमा
4.2.19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण का वाद पत्र डिक्री मुताबिक स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया एवं शामिल मिसल रहे। स्वीकार निर्णय व डिक्री का मुख्य रहेगा। पत्र डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	सरोज सन्तोष कमला निरमा सरला अनिता Pramila रानी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. प्रमोद कुमार पुत्र आत्माराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. संदीप कुमार पुत्र आत्माराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सतपाल पुत्र रामदेव जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. विकास कुमार पुत्र रामदेव जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---वादीगण

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नि बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. आत्माराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. सावित्री पुत्री बीरबलराम पत्नि हंसराज जाति बिश्नोई निवासी चमारखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. संजय पुत्र श्रीमति कोयल पुत्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चमारखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुनीता पत्नि शेषकरण पुत्र श्रीमति कोयल पुत्री बीरबलराम जाति बिश्नोई चमारखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. रामस्नेही पत्नि आत्माराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. माया पुत्री आत्माराम पत्नि संतोष जाति बिश्नोई निवासी काकडवाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
8. गीता कुमारी पुत्री आत्माराम पत्नि अमित कुमार जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
9. सरोज पत्नि प्रमोद पुत्र आत्माराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. संतोष पत्नि संदीप कुमार पुत्र आत्माराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. कलावती पत्नि स्व. रामदेव जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. लिछमा पुत्री स्व. रामदेव पत्नि महावीर जाति बिश्नोई निवासी काकडवाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner

3

13. सरला पुत्री स्व. रामदेव पत्नि धर्मपाल जाति बिश्नोई निवासी काकडवाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

14. अनिता पुत्री स्व. रामदेव पत्नि सुशील जाति बिश्नोई निवासी मौजगढ़ तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

15. प्रमिला पत्नि सतपाल पुत्र रामदेव जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

16. रानी पत्नि विकास पुत्र रामदेव जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

17. पीएनबी बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।

18. एसबीआई (एडीबी) हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।

19. ओबीसी शाखा मैनावाली जरिये शाखा प्रबन्धक।

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

---**प्रतिवादीगण**

वाद संख्या :– 15 सन् 2019
दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

उपस्थित :–

1. श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री मदन मून्ड अधिवक्ता — प्रतिवादी सं. 1 ता 16

निर्णय — दिनांक :– 4.2.19

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए के तहत संक्षेप रूप मे इस प्रकार है कि वादीगण के दादा स्व. बीरबलराम के नाम से चक 25 एनडीआर–ए खाता सं. 26/27 के प.न. 123/351 मु.न. 15 कि.न. 1, 2, 3, 8 से 20, 21/2/0.228, 22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0.228, 25/2/0.228 तादादी 5.188 है0, प.न. 123/352 मु.न. 16 कि.न. 1 से 25 तादादी 6.325 है0, प.न. 122/352 मु.न. 17 कि.न. 5, 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 तादादी 2.277 है0, प.न. 123/353 मु.न. 21 कि.न. 3 ता 8, 13, 14, 15 तादादी 16.067 है0 व चक 21 एनडीआर खाता सं0 3/3 के प.न. 128/347 मु.न. 22 कि.न. 12 ता 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 प्रत्येक 0.228 है0 तादादी 3.417 है0 खातेदारी कृषि भूमि दर्ज थी। वादीगण के दादा के देहान्त के पश्चात उनके धारण की भूमि उनकी पत्नि दादी प्रतिवादी सं0 1 परमेश्वरी के नाम 1/3 हिस्सा, उनके पुत्र प्रतिवादी सं. 2 आत्माराम के नाम 1/3 हिस्सा व वादी सं. 3 व 4 एवं प्रतिवादी सं. 11 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई। दोनो चको की कुल तादादी 19.484 है0 रिकार्ड मे दर्ज है। वादपत्र मे वर्णित चक 25 एनडीआर–ए व चक 21 एनडीआर दोनो खातो की 19.484 है0 भूमि वादीगण के दादा से विरासतन मे प्राप्त हुई है जो संयुक्त हिन्दू परिवार की जददी जायदाद है

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

4

जिसका वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 16 ने बीरबलराम के देहान्त के समय ही हिस्सा कस्सी एवं घराघरू बंटवारा कर लिया था। प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5 ने अपना समस्त हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2,6, 9, 10, 11, 15, 16 के पक्ष मे तर्क कर दिया था परन्तु दोनो चको मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा है एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम भी 1/3 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है एवं वादी सं. 3 व 4 एवं प्रतिवादी सं. 11 के नाम भी 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 7 व 8 जो प्रतिवादी सं. 2 की पुत्रियां है व वादी सं. 1 व 2 की बहने है, ने भी अपना हिस्सा पूर्व मे ही तर्क कर दिया था तथा प्रतिवादी सं. 12, 13, 14 जो वादी सं. 3 व 4 की बहने वं प्रतिवादी सं. 11 की पुत्री तथा प्रतिवादी सं. 15 व 16 की ननदे है, ने भी अपना हिस्सा तर्क कर रखा है। मौका पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 2, 6, 9, 10, 11, 15 एवं 16 मुताबिक पारिवारिक समझौता अलग अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिन्होने वादपत्र मे वर्णित भूमि मे अपना हिस्सा मुताबिक पारिवारिक समझौता अलग अलग तय कर लिया है जिसमे वादी सं. 1 व 2 प्रतिवादी सं. 2, 6, 9 व 10 का 1/2 हिस्सा मे बहिस्सा बराबंर यानि प्रत्येक का 1/2 हिस्सा मे 1/6 हिस्सा एवं वादी सं. 3, 4, प्रतिवादी सं. 11, 15, 16 का वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा मे बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक का 1/2 हिस्सा मे 1/5 हिस्सा मुताबिक पारिवारिक समझौता तय हुआ है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने के अधिकारी है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 11 के नाम हिस्सा ज्यादा दर्ज होने से वादीगण के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि वादपत्र मे वर्णित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा एवं पारिवारिक समझौता घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवा ले पहले तो टाल मटोल करते रहे आखिर दिनांक 09.01.2019 को इन्कार हो गये बस यही बिनाय दावा है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा फरमाई जावे कि वादपत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित भूमि चक 25 एनडीआर–ए व चक 21 एनडीआर दोनो खातो की 19.484 है0 मे वादी सं. 1 व 2 प्रतिवादी सं. 2, 6, 9 व 10 का 1/2 हिस्सा मे बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक का 1/2 हिस्सा मे 1/6 हिस्सा एवं वादी सं. 3, 4, प्रतिवादी सं. 11, 15, 16 का वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक का 1/2 हिस्सा मे 1/5 हिस्सा के हकदार है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 16 व वादीगण की ओर से स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया गया जो बाद तसदीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 17 ता 20 के रिलिफ हक को सुरक्षित रखते हुए तलबी बंद की गई।

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

5

वादीगण की ओर से अपने वाद–पत्र के समर्थन मे तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 21 एनडीआर–ए व चक 21 एनडीआर सम्वत 2071–74 एवं नजरी नक्शा चक 25 एनडीआर–ए व चक 21 एनडीआर आदि पेश किये गये।

वाद–पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस संयुक्त कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 16 एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र मे वर्णित तथ्यो पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 16 द्वारा सहमत है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे पारिवारिक समझौता किया हुआ है तथा प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5 ने अपना समस्त हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2,6, 9, 10, 11, 15, 16 के पक्ष मे तर्क कर दिया था प्रतिवादी सं. 7 व 8 जो प्रतिवादी सं. 2 की पुत्रियां है व वादी सं. 1 व 2 की बहने है, ने भी अपना हिस्सा पूर्व मे ही तर्क कर दिया था तथा प्रतिवादी सं. 12, 13, 14 जो वादी सं. 3 व 4 की बहने वं प्रतिवादी सं. 11 की पुत्री तथा प्रतिवादी सं. 15 व 16 की ननदे है, ने भी अपना हिस्सा तर्क कर रखा है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी जद्दी जायदाद साबित होने से वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा प्रश्नगत आराजी मे है। प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5, 7, 8, 12, 13, 14 ने अपना हक परित्याग घरूबंटवारा अनुसार किया हुआ है। पक्षकारो ने राजीनामा पेश कर दिया है। मुताबिक राजीनामा वाद–पत्र डिक्री करने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजीनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी जद्दी जायदाद होना साबित होता है तथा जद्दी जायदाद होने से वादीगण का प्रश्नगत आराजी मे Birth Right है। प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5, 7, 8, 12, 13, 14 ने अपना हक परित्याग घरूबंटवारा अनुसार किया हुआ है जो राजीनामा मे प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 16 ने राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद–पत्र डिक्री करने की सहमति दी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण घरू विभाजन मे मुताबिक राजीनामा वादग्रस्त आराजी प्राप्त कर रहा है जिसका कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि चक 25 एनडीआर–ए खाता सं. 26/27 की कुल 16.067 है0 व चक 21 एनडीआर खाता सं0 3/3 की कुल 3.417 है0 दोनो चको की कुल 19.484 है0 आराजी मे वादी सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 2, 6, 9 व 10 का 1/2 हिस्सा मे बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक का 1/2 हिस्सा मे 1/6 हिस्से के एवं वादी सं. 3, 4 व प्रतिवादी सं. 11, 15, 16 का वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक का 1/2 हिस्सा मे 1/5 हिस्से खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। यदि प्रश्नगत

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज आज दिनांक 4.2.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

1. प्रमोद कुमार पुत्र आत्माराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. संदीप कुमार पुत्र आत्माराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सतपाल पुत्र रामदेव जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. विकास कुमार पुत्र रामदेव जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---वादीगण

बनाम

1. परमेश्वरी पत्नि बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. आत्माराम पुत्र बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सावित्री पुत्री बीरबलराम पत्नि हंसराज जाति बिश्नोई निवासी चमारखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. संजय पुत्र श्रीमति कोयल पुत्री बीरबलराम जाति बिश्नोई निवासी चमारखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुनीता पत्नि शेषकरण पुत्र श्रीमति कोयल पुत्री बीरबलराम जाति बिश्नोई चमारखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. रामस्नेही पत्नि आत्माराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. माया पुत्री आत्माराम पत्नि संतोष जाति बिश्नोई निवासी काकडवाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
8. गीता कुमारी पुत्री आत्माराम पत्नि अमित कुमार जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
9. सरोज पत्नि प्रमोद पुत्र आत्माराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. संतोष पत्नि संदीप कुमार पुत्र आत्माराम जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. कलावती पत्नि स्व. रामदेव जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. लिछमा पुत्री स्व. रामदेव पत्नि महावीर जाति बिश्नोई निवासी काकडवाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
13. सरला पुत्री स्व. रामदेव पत्नि धर्मपाल जाति बिश्नोई निवासी काकडवाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
14. अनिता पुत्री स्व. रामदेव पत्नि सुशील जाति बिश्नोई निवासी मौजगढ़ तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
15. प्रमिला पत्नि सतपाल पुत्र रामदेव जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. रानी पत्नि विकास पुत्र रामदेव जाति बिश्नोई निवासी चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

8

17. पीएनबी बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।
18. एसबीआई (एडीबी) हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।
19. ओबीसी शाखा मैनावाली जरिये शाखा प्रबन्धक।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

----प्रतिवादीगण

वाद संख्या 15 सन् 2019 निर्णय दिनांक 4.2.19

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

डिक्री

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आरएएस समक्ष अभिभाषक वादीगण श्री रामकुमार कस्वां तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 ता 16 श्री मदन मून्ड की उपस्थिति मे निर्णय प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि चक 25 एनडीआर–ए खाता सं. 26/27 की कुल 16.067 है0 व चक 21 एनडीआर खाता सं0 3/3 की कुल 3.417 है0 दोनो चको की कुल 19.484 है0 आराजी मे वादी सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 2, 6, 9 व 10 का 1/2 हिस्सा मे बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक का 1/2 हिस्सा मे 1/6 हिस्से के एवं वादी सं. 3, 4 व प्रतिवादी सं. 11, 15, 16 का वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक का 1/2 हिस्सा मे 1/5 हिस्से खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर अमल–दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 4.2.19 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner